भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या – 3384

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

राज्य सरकारों पर ऋणभार

3384. श्री दिनेश चंद्र यादव:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सम्पूर्ण देश में विभिन्न राज्य सरकारों पर राज्य-वार कितना ऋण है;

(ख) क्या अधिकांश राज्य सरकारों का ऋणभार उनके सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 32 प्रतिशत तक पहुंच गया है और ऋण पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज के रूप में राज्यों को 13-15 प्रतिशत का भार वहन करना होगा;

(ग) क्या सरकार राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई कदम उठा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक की 'राज्य वित्त: 2023-24 के बजट का अध्ययन' शीर्षक की रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों की कुल बकाया देयताओं और जीएसडीपी अनुपात पर ऋण (मार्च-2024, बजट अनुमान (ब.अ.) के अंत तक) का विवरण अनुबंध-1 पर संलग्न है। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 (ब.अ.) के लिए राज्य सरकारों की कुल बकाया देयताओं के ब्याज भुगतान के अनुपात की सीमा 4.21 प्रतिशत से 7.01 प्रतिशत तक है।

(ग) और (घ): केन्द्र सरकार कर अंतरण, राजस्व घाटा अनुदान सहित वित्त आयोग अंतरण, पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए स्कीम शीर्षों के अंतर्गत राज्यों को निधियां उपलब्ध कराती है। इन शीर्षों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अंतरित की गई निधियों का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

अनुबंध-I

कुल बकाया देयताओं और जीएसडीपी अनुपात पर ऋण (मार्च-2024, बजट अनुमान (ब.अ.) के अंत तक) राज्यवार आंकड़ों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	कुल बकाया देयताएं	जीएसडीपी अनुपात पर ऋण
		(करोड़ रु. में)	(प्रतिशत में)
1	आंध्र प्रदेश	4,85,491	33.5
2	अरुणाचल प्रदेश	21,654	50.4
3	असम	1,50,900	26.6
4	बिहार	3,19,618	37.0
5	छत्तीसगढ	1,22,164	24.0
6	गोवा	34,758	38.3
7	गुजरात	4,67,464	18.2
8	हरियाणा	3,36,253	29.9
9	हिमाचल प्रदेश	94,992	44.2
10	झारखंड	1,31,456	30.1
11	कर्नाटक	5,97,618	22.7
12	केरल	4,29,271	36.9
13	मध्य प्रदेश	4,18,056	28.7
14	महाराष्ट्र	7,22,887	18.6
15	मणिपुर	19,246	39.5
16	मेघालय	20,030	42.1
17	मिजोरम	14,039	36.2
18	नागालैंड	18,166	44.3
19	ओडिशा	1,20,987	13.9
20	पंजाब	3,51,130	47.6
21	राजस्थान	5,62,495	35.7
22	सिक्किम	15,530	31.0
23	तमिलनाडु	8,34,544	31.0
24	तेलंगाना	3,89,673	27.8
25	त्रिपुरा	26,506	32.0
26	उत्तर प्रदेश	7,69,245	28.6
27	उत्तराखंड	89,466	26.9
28	पश्चिम बंगाल	6,58,426	38.3

स्रोत: राज्य वित्त: 2023-24 के बजट का अध्ययन, भारतीय रिजर्व बैंक

अनुबंध-II

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी की गई निधियों का स्कीम-वार विवरण

(करोड़ रु. में)

शीर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (10.12.2024 तक)
कर अंतरण	8,82,903.79	9,48,405.82	11,29,493.71	9,01,149.51
वित्त आयोग अंतरण	2,14,777.05	1,74,284.53	1,49,391.05	71,612.08
पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए स्कीम	14,185.78	81,195.35	1,09,554.30	63,699.61

****